बसताड़ा टोल पर लाठीचार्ज कांड की जांच का काम तेज

करनाल (जेके शर्मा) बसताड़ा टोल पर हुए लाठीचार्ज मामले की जांच कर रहे जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग आज करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगी कोर्ट में तीसरे दिन की सुनवाई कर किसानों के ब्यान दर्ज किए। इससे पहले 11 किसानों ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं, लेकिन 10 बयान दर्ज नहीं करवा पाए। कोर्ट में 34 किसानों को गवाह के तौर पर बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस देकर बुलाया गया। पहले दौर में किसानों के ब्यान लिए जा रहे है जबकि दूसरा दौर दीपावली के बाद शुरू किया जाएगा। इसमें एसडीम आयुष सिन्हा, डीसी, एसपी व अन्य अधिकारियों को नोटिस देकर जांच में शामिल किया जाएगा।

स्मरण रहे कि सरकार ने 25 सितंबर को आयोग को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए एक माह का वक्त दिया था। परंतु सरकार ने आयोग की सेवा-शर्त 11 अक्टूबर को तय की। इसलिए जांच 12 अक्टूबर से शुरू हो पाई, जबकि सरकार 24 अक्टूबर तक एक माह मान रही है। 25 अक्टूबर से दो नवंबर तक 34 गवाहों के बयान दर्ज करने का समय तय किया गया है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी को 2 नवंबर को बुलाया गया है। ब्यानों के लिए 29 अक्टूबर सेक्टर-36 असंल निवासी मनीष लाठर, रायपुर जाटान निवासी सुरजीत सिंह, रणबीर सिंह, बीबीपुर जाटान निवासी रामपाल चहल, दादूपुर निवासी राजेंद्र आर्य, यूनिसपुर निवासी राजेंद्र सिंह को बुलाया गया है।

ध्यान रहे कि करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि बैरिकेड के आगे कोई किसान जाए तो उसका सिर फोड़ देना। कोई यहां से निकलने की कोशिश करे तो लट्ठ उठा-उठा के मारना और उसका सिर फोड़ देना। यह मेरा आर्डर है, कोई डाउट नहीं है, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ये नाका किसी हालत में तोडने नहीं देंगे। पीछे और फोर्स लगी है। यहां आपको लगा रखा है शुरू में। हेलमेट पहन लो। यहां से एक बंदा भी नहीं जाना चाहिए और अगर गया तो सिर फूटा होना चाहिए उसका।

फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन गत 1 नवम्बर को

असंध/करनाल। निर्वाचक पंजीयन अधिकारी असंध विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमंडल अधिकारी मनदीप कुमार ने बताया कि 1 जनवरी 2022 को क्वालिफाई तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन गत 1 नवम्बर को सभी मतदान केन्द्रों/प्रकाशन स्थलों पर विधिवत रूप से करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 1 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य चलेगा जिसमें सभी बीएलओ 13, 14, 27 व 28 नवम्बर 2021 को अपने क्षेत्र से संबंधित बूथ पर प्रात-9 बजे से सायं 5 बजे तक अपने बूथों पर उपस्थित रहकर जन साधारण से दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में जिस भी व्यक्ति की उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष होती है वह अपना वोट बनवा सकता है। नया वोट बनवाने के लिए 2 फोटो, 1 एड्रैस प्रूफ व 1 आयु प्रमाण पत्र तथा परिवार या पड़ोसी के वोटर कार्ड की फोटोप्रति सहित अपने क्षेत्र से संबंधित बीएलओ के पास अपने दस्तावेज जमा करवाएं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बीएलओ के पास जमा करवाकर वोट करवाएं। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति के वोटर कार्ड में कोई त्रुटि है तो वह भी अपने आईडी व फोटो के साथ बीएलओ को अपना फार्म जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि सभी सुपरवाईजर अपने क्षेत्र से संबंधित सभी बूथों की चैंकिंग करेंगे।

पनामा पेपर्स की टैक्स चोरी वाले बिग बी ने जहरीले गुटखा विज्ञापन छोड़े

तीनो समाचार पत्रों और पत्रिका के सम्पादकों और प्रकाशकों को मेरा तहेदिल से शुक्रिया कि उन्होंने जनहित में लिखे, मेरे छोटे से लेख को सितम्बर माह में अपने-अपने अख़बार में स्थान दिया और अविलम्ब छापा। कुछ ने मुझसे अनुमति लेकर मेरी फ़ेसबुक पोस्ट को अपने समाचार पत्र में अविलम्ब प्रकाशित किया,क्योंकि ये लोग जनहित से जुड़े लेखों को प्राथमिकता से छापना, अपना कर्तव्य समझते हैं। वरना हम जैसे मामूली इंसान कलम से विरोध अभिव्यक्त करने के सिवाय कर ही क्या कर सकते हैं ? लेकिन जब हमारे साथ कुछ ज़रूर लोग जुड़ जाते हैं, तो हमारी आवाज़ दमदार हो जाती है।

.इसलिए कहा जाता है कि दिल से किया गया छोटा सा प्रयास भी देर-सबेर रंग लाता है। जनहित सर्वोपरि ????

अमिताभ के प्रशंसकों, हम जैसे आलोचकों और National Anti Tobbaco Organisation के मिले-जुले प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि अमिताभ बच्चन ने 'कमला पान मसाला' से अपना विज्ञापन अनुबन्ध ख़त्म कर दिया।

अमिताभ जी ने कहा कि उन्हें पता न था कि कमला पान मसाला सरोगेट विज्ञापन की कोटी में आता है !

साथियों, आपमें से बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से नहीं भी जानते होंगे कि सरोगेट विज्ञापन, उस विज्ञापन को कहते हैं, जो किसी प्रतिबंधित वस्तु का प्रचार करता है। कमला पान मसाला प्रतिबंधित तम्बाकू का छद्म रूप है जो सिगरेट आदि की तरह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

-प्रो. डॉ. दीप्ति गुप्ता

घरों व कार्यालयों के आसपास इकट्ठा न रहने दें पानी

मच्छरजनित बीमारियों को लेकर नागरिक रहे सतर्क: सिविल सर्जन

करनाल। सिविल सर्जन डॉ. योगेश शर्मा ने कहा है कि मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां होती हैं। यह बातें जान लेना इसलिए जरूरी हैं क्योंकि विभिन्न जगहों पर जलभराव की वजह से मच्छर पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति लोगों का जागरूक होना जरूरी है।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया से बचाव के लिए पानी के बर्तन, टंकी, घड़ों आदि को ढककर रखे और सप्ताह में एक बार कूलर, फूलदान, फ्रिज की ट्रे, पशु व पक्षियों के बर्तन व ड्रमों को खाली करके सुखाएं और फिर उनमें पानी डाले। शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहने। ठहरे पानी में लारवा नाशक दवा डाले। उन्होंने बताया कि जहा पानी ठहरेगा। वहीं मच्छर पलेगा और यदि हम पानी ठहरने नहीं देंगे तो मच्छर भी पैदा नहीं होगा।

सिविल सर्जन ने कहा कि मानसून के दौरान हुए जलभराव में सबसे ज्यादा परेशान मच्छरों से होने वाली बीमारियां करती हैं। ऐसी ही एक बीमारी का नाम है मलेरिया।

यह बीमारी फीमेल एनोफेलीज मच्छर के काटने से होती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में बुखार, सिरदर्द, बदनदर्द, कमजोरी, चक्कर आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी से बतने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह ढके हुए कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा अपने आसपास साफ-सफाई का भी ध्यान रखें। घर के आसपास जलभराव न होने दें। समय-समय पर मच्छरों को दूर रखने के लिए घर की नालियों के आसपास स्प्रे करवाते रहें।

सिविल सर्जन ने कहा कि मच्छरों से होने वाली डेंगू दूसरी गंभीर बीमारी है। डेंगू से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गवां देते है। इस बुखार से पीड़ित व्यक्ति में सिरदर्द, रैशेज, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, कमजोरी, चक्कर आने जैसे लक्षण दिखाई देते है। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा इन लक्षणों के नजर आते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त के अलावा मानसून में एडिस मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है। इस बीमारी के लक्षण डेंगू से मिलते-जुलते होते हैं। यह मच्छर ज्यादातर दिन के समय काटते है। सिरदर्द, आंखों में दर्द, नींद न आना, कमजोरी, शरीर पर लाल चकत्ते बनना और जोड़ों में तेज दर्द इस बीमारी के लक्षण है। इस बीमारी से बचने के लिए घर के आस-पास सफाई रखें ताकि आपके आस-पास मच्छर न पैदा हो सके।

जागरूकता शिविर का आयोजन किया

करनाल। चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करनाल सुश्री जसबीर ने बताया कि भारत की आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और उसके लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए किया जा रहा है।

इसी कड़ी में अभियान के तहत मंगलवार को दिवाली की पूर्व संध्या पर जिला एडीआर सेंटर में रंगोली के माध्यम से दिवाली के उत्सव का शुभारंभ किया और एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आने वाले व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत विभिन्न कानूनों और उनके प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया और भारत के संविधान के तहत प्रदान मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया गया।

सीजेएम ने बताया कि यह अमृत महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है। इस महोत्सव के जरिए भारत की विकासवादी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा आत्मनिर्भर भारत की भावना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान को कायम रखना है। उन्होंने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च, 2021 को शुरू हुई थी जो 15 अगस्त 2023 को एक साल के बाद समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव पूरे जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा जागरूकता अभियान के माध्यम से जिसमें डिस्टिक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल भिभाग के माध्यम से गांव-गांव में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा आम जनता को जागरूक किया जा रहा है।

खिलाड़ियों के नामों की सूची अपलोड की

करनाल। जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2021-21 की खेल उपलब्धियों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों के आवेदन पत्रों का निरीक्षण करने के उपरांत नकद ईनाम की सूची विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यदि किसी खिलाड़ी को उसके नाम के आगे प्रस्तावित की गई राशि या रद्द किए गए आवेदन पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो निदेशालय, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा पंचकूला में 10 नवम्बर 2021 तक सम्पर्क कर सकते हैं ताकि खिलाडियों को दिए जाने वाले नकद ईनाम में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।